क्रम-संख्या—349

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 मई, 1983

वैशाख 30, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1691/सत्रह-वि0-1-75/1980

दिनांक, 20 मई, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 18 मई, 1983 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का, तथा उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अध्याय दो

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9 सन् 1910 की धारा 7–क का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7–क में,––

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम का" के पश्चात् शब्द और अंक "धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन उसकी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के परिणामस्वरूप राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा क्रय कर लिया गया है या उसका" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

(दो) उपधारा (5) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्––

"(झ) वह सभी रकम जो नियत तारीख के ठीक पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के नियोजन में व्यक्तियों के संबंध में भविष्य निधि, उपदान या पेंशन (यदि कोई हो) मद्धे हो और अनुज्ञप्तिधारी के नियोजन में ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गयी सेवा की कालावधि के अनुपात में प्रभाजित हों।"

धारा 22–ख का संशोधन

3––मूल अधिनियम की धारा 22–ख में, उपधारा (1) में, शब्द "आदेश द्वारा" के स्थान पर शब्द "शासकीय राजपत्र में अधिसूचित साधारण आदेश या सम्बद्ध व्यक्ति को दिये गये विशेष आदेश द्वारा" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 28-क का बढ़ाया जाना

4––मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :––

"28–क (1) जहां राज्य सरकार की राय हो कि विद्युत् प्रदाय को बनाये रखने या जनसाधारण को उसका सम्यक् वितरण सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ या अन्यथा लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध या किसी करार या परिनियत संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को दी गई किसी मंजूरी को प्रतिसंहृत कर सकती है, और तदुपरान्त प्रत्येक ऐसी मंजूरी, ऐसी अधिसूचना में, इस निमित्त निर्दिष्ट तारीख से, प्रतिसंहृत हो जायगी।

धारा 28 के अधीन दी गई मंजूरी का प्रतिसंहरण

(2) जहां उपधारा (1) के अनुसार कोई मंजूरी प्रतिसंहृत की जाती है वहां धारा 6–क और 7–क के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी मंजूरी के प्रतिसंहरण पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर लागू होते हैं।"

धारा 42 का संशोधन

5––मूल अधिनियम की धारा 42 में, खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्––

"(ङ) धारा 22-ख के अधीन अधिसूचित किसी साधारण आदेश या धारा 22-ख के या धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन उसे दिये गये किसी विशेष आदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करेगा;"।

अध्याय तीन

विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का संशोधन

अधिनियम संख्या 54 सन् 1948 की धारा 15 का संशोधन

6––उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 15 में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्––

"परन्तु यह और कि बोर्ड विनियमों द्वारा इस धारा के अधीन नियुक्ति करने की अपनी शक्ति, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य को या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।"

धारा 60 का संशोधन

7––मूल अधिनियम की धारा 60 में, उप धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी और 1 अप्रैल, 1965 से बढ़ायी गई समझी जायेंगी, अर्थात्––

"(3) सभी व्यय जिसे राज्य सरकार विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ होने से अधिकतम दो मास में घोषित करे कि उसे रिहन्द हाइड्रो पावर सिस्टम के बारे में इस अधिनियम के प्रयोजन के सम्बन्ध में पूंजीगत लेखा में किया गया है, इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख पर धारा 64 के अधीन बोर्ड को दिया गया ऋण समझा जायगा और ऐसे व्यय से अर्जित सभी आस्तियां ऐसे प्रारम्भ से बोर्ड में निहित होंगी।

(4) उप धारा (1) और (1-क) के उपबन्ध, उप धारा (5) के उपबन्धों के अधीन, रिहन्द हाइड्रो पावर सिस्टम के बारे में, इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पहले और बोर्ड के प्रथम गठन के पश्चात्, राज्य सरकार से या के लिए जो ऋण और आभार लिये जायं, संविदा की जाय तथा विषय और बात करने का अनुबन्ध किया जाय उनके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे बोर्ड के प्रथम गठन के पहले इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए राज्य सरकार से या के लिये जो ऋण और आभार लिये गये हैं, संविदा की गई है; विषय और बात करने का अनुबन्ध किया गया है, उन पर लागू होते हैं ।

(5) किसी उपभोक्ता को विद्युत शक्ति के प्रदाय के लिये जो रिहन्द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन से विद्युत के उत्पादन पर आधारित हैं या उससे सम्बन्धित हैं राज्य सरकार द्वारा की गई ऐसी सभी संविदायें और बोर्ड द्वारा ऐसे उपभोक्ता को विद्युत शक्ति के प्रदाय के लिये 1 अप्रैल, 1965 को या उसके बाद की गई कोई संविदा आगामी खण्डों में विनिर्दिष्ट उपान्तर के अधीन लागू होंगी जिनका प्रभाव विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ होने के दिनांक से (जिसे आगे उक्त तारीख कहा गया है) होगा:——

(क) जो विद्युत शक्ति किसी संविदा के अधीन किसी उपभोक्ता को बोर्ड के द्वारा प्रदाय की गई हैं जिसके लिए भुगतान उक्त तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है उसके लिये बोर्ड के द्वारा वसूल की जाने वाली दरें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बोर्ड के द्वारा प्रदाय के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रदाय का प्रकार और अपेक्षित प्रदाय के प्रयोजन तथा किसी अन्य सुसंगत तथ्य को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाय,

(ख) यदि राज्य सरकार बोर्ड को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 22-ख के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी उपभोक्ता को विद्युत शक्ति का प्रदाय कम करने के लिए निदेश देती है और तदुपरान्त बोर्ड ऐसे उपभोक्ता को तदनुसार विद्युत शक्ति का प्रदाय कम कर देता है तो सम्बन्धित उपभोक्ता ऐसी कमी किये जाने के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और यदि उपभोक्ता कम की गई सीमा जो उक्त धारा 22-ख या, यथास्थिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गई है उससे अधिक विद्युत शक्ति का उपभोग करता है तो बोर्ड को अधिकार होगा कि उपभोक्ता के प्रदाय को बिना नोटिस बन्द कर दे और बोर्ड के उक्त अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपभोक्ता खण्ड (क) के अधीन निश्चित सामान्य दर का दुगुना ऐसे अधिक उपभोग के लिए अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा,

(ग) ऐसी संविदा में समाविष्ट कोई माध्यस्थम करार इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन होगा ।"

8——मूल अधिनियम की धारा 79 में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—— धारा 79 का संशोधन

"परन्तु यह और कि बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों के संबंध में खण्ड (ग) के अधीन बनाये गये विनियम——

(i) भूतलक्षी प्रभाव से बनाये जा सकते हैं;

(ii) में उन अधिकारियों और सेवकों के संबंध में जिन्हें मूलतः राज्य सरकार के अधीन नियोजित किया गया था, और त्याग-पत्र देने के पश्चात् राज्य सरकार के आदेश संख्या 3670 ई/71-23पी0बी0, तारीख 1 जुलाई, 1971 के अनुसरण में बोर्ड की सेवा में आमेलित किया गया था, यह व्यवस्था हो सकती है कि बोर्ड (ऐसे मामलों के सिवाय जिनमें अनुशासनिक कार्यवाहियां, गुणावगुण के आधार पर अन्तिम रूप से तभी समाप्त की जा चुकी थी जब वे सरकार के अधीन नियोजित थे) ऐसे अधिकारियों और सेवकों के राज्य सरकार के अधीन नियोजित रहने की अवधि में किये गये कार्य और लोप के संबंध में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ या पुनर्प्रारंभ कर सकता है ;

(iii) बोर्ड के ऐसे सेवकों के संबंध में जो बोर्ड के नियंत्रण में किसी औद्योगिक स्थापना में नियोजित कर्मकार हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।"

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16 सन् 1958 की धारा 3 का संशोधन

9---उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में शब्द और अंक और अक्षर "इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 47-क के अधीन" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की अनुसूची 6 के अधीन या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 47-क के अधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा 5-क का संशोधन

10---मूल अधिनियम की धारा 5-क में शब्द और अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908, जहां वे पहली और दूसरी बार आये हैं, के स्थान पर शब्द और अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963" रख दिये जायेंगे।

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

संक्रमणकालीन उपबन्ध

11---इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की धारा 7-क के उपबन्ध उन सभी अनुज्ञप्तिधारियों के उपक्रमों के संबंध में लागू होंगे, जिनका क्रय उनकी अनुज्ञप्तियों के, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिसंहरण कर दिये जाने के परिणामस्वरूप राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा कर लिया गया था और जिनके क्रय-मूल्य का अवधारण इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व नहीं किया गया था।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

No. 1691(2)/XVII-V-1—75-80

Dated Lucknow, May 20, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Vidyut Vidhi (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May, 18 1983.

THE ELECTRICITY LAWS (UTTAR PRADESH AMENDMENT), ACT 1983

[U. P. Act No. 12 of 1983]

[(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)]

An

ACT

further to amend the Indian Electricity Act, 1910, *the Electricity (Supply) Act*, 1948 *in their application to Uttar Pradesh and the Uttar Pradesh Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Act*, 1958.

It is hereby enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Chapter I

Preliminary

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Electricity Laws (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1983.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Chapter II

Amendment of Indian Electricity Act, 1910

Amendment of section 7-A of Act 9 of 1910.

2. In section 7-A of the Indian Electricity Act, 1910, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(i) in sub-section (1), *after* the words "where an undertaking of licensee", the words and figures "has been purchased by the State Electricity Board in consequence of revocation of his licence under sub-section (2) of section 4 or" shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*;

(ii) in sub-section (5), *after* clause (*h*), the following clause shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(i) all amounts on account of provident fund, gratuity, or pension, if any, in relation to persons in the employment of the licensee immediately before the appointed date and apportioned in proportion to the period of service rendered by such persons in the employment of the licensee."

3. In section 22-B of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "by order", the words "by general order notified in the official *Gazette* or special order issued to the person concerned" shall be *substituted*. Amendment of section 22-B.

4. *After* section 28 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 28-A.

"28-A. (1) Where the State Government is of opinion that for purposes of maintaining supply of or securing equitable distribution of electrical energy to the general public or otherwise in public interest, it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, revoke a sanction given to a local authority or to any other person under sub-section (1) of section 28, anything contained in any other provision of this Act or any agreement or statutory instrument to the contrary notwithstanding, and thereupon every such sanction shall, with effect from the date specified in this behalf in such notification, stand revoked.

Revocation of sanction given under section 28.

(2) Where any sanction is revoked in accordance with sub-section (1), the provisions of sections 6-A and 7-A shall *mutatis mutandis* apply to the revocation of such sanction as they apply to the revocation of a license."

5. In section 42 of the principal Act, *for* clause (*e*), the following clause shall be *substituted*, namely — Amendment of section 42.

"(*e*) makes default in complying with any general order notified under section 22-B or any special order issued to him under section 22-B or sub-section (2) of section 34;".

CHAPTER III

Amendment of the Electricity (Supply) Act, 1948

6. In section 15 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*, namely: Amendment of section 15 of Act 54 of 1948.

"Provided further that the Board may, by regulations, delegate its power of appointment under this section to the Chairman or any member of the Board or to any other officer or authority subordinate to it."

7. In section 60 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted and be deemed to have been *inserted* on April 1, 1965, namely:— Amendment of section 60.

(3) All expenditure which the State Government may, not later than two months from the commencement of the Electricity Laws (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1983, declare to have been incurred by it on capital account in connection with the purposes of this Act in respect of the Rihand Hydro Power System shall also be deemed to be a loan advanced to the Board under section 64 on the date of commencement of this sub-section and all the assets acquired by such expenditure shall vest in the Board with effect from such commencement.

(4) The provisions of sub-sections (1) and (1-A) shall, subject to the provisions of sub-section (5) apply in relation to the debts and obligations incurred, contracts entered into and matters and things engaged to be done by, with or for the State Government in respect of the Rihand Hydro Power System after the first constitution of the Board and before the commencement of this sub-section as they apply in

relation to debts and obligations incurred, contracts entered into, matters and things engaged to be done by, with or for the State Government for any of the purposes of this Act before the first constitution of the Board.

(5) All such contracts entered into by the State Government for supply of electrical energy based on or connected with the generation of electricity from the Rihand Hydro Electric Generating Station to any consumer and any contract entered into by the Board on or after April 1, 1965 for the supply of electrical energy to such consumer shall operate subject to the modifications specified in the following clauses, which shall have effect from the date of the commencement of the Electricity Laws (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1983 (hereinafter referred to as the said date):—

(*a*) the rates to be charged by the Board for the energy supplied by it to any consumer under any contract for which the payment will be due for the first time on or after the said date shall be such as may with the previous approval of State Government be fixed by the Board, having due regard to the geographical position of the area of supply, the nature of the supply and purpose for which supply is required and any other relevant factor;

(*b*) if the State Government directs the Board under section 22-B of the Indian Electricity Act, 1910 or under any other law for the time being in force to reduce the supply of energy to a consumer and thereupon the Board reduces the supply of energy to such consumer accordingly, the consumer concerned shall not be entitled to any compensation for such reduction, and if the consumer consumes energy in excess of the reduced limit fixed under the said section 22-B or any other law for the time being in force, as the case may be, then the Board shall have the right to discontinue the supply to the consumers without notice, and without prejudice to the said right of the Board, the consumer shall be liable to pay for such excess consumption at double the normal rate fixed under clause (*a*);

(*c*) any arbitration agreement contained in such contract shall be subject to the provisions of this sub-section."

Amendment of section 79.

8. In section 79 of the principal Act, *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:

"Provided further that the regulations made under clause (*c*) in regard to conditions of services of officers and servants of the Board—

(i) may be made with retrospective effect;

(ii) may in relation to officers and servants who were originally employed under the State Government, and after their resignation were absorbed in the service of the Board in pursuance of State Government Order no. 3670-E/71—XXIII-PB, dated July 1, 1971, provide that the Board may initiate or recommence any disciplinary proceedings in respect of their acts and omissions during the period when they were employed under the State Government except in cases where disciplinary proceedings were finally concluded on merits while they were so employed under the Government;

(iii) shall, in relation to such servants of the Board as are workmen employed in any industrial establishment under the control of the Board, have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force.

CHAPTER IV

Amendment of the Uttar Pradesh Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Act, 1958

Amendment of section 3 of U. P. Act XVI of 1958.

9. In section 3 of the Uttar Pradesh Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Act, 1958, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* the words, figures and letter "under section 47-A", the words, figures and letter "under Schedule VI to the Indian Electricity Act, 1910 or under section 47-A" shall be *substituted*.

Amendment of section 5-A.

10. In section 5-A of the principal Act, *for* the words and figures "Indian Limitation Act, 1908" occurring at the first two places, the words and figures "Limitation Act, 1963" shall be *substituted*.

CHAPTER V

Miscellaneous

11. The provisions of section 7-A of the Indian Electricity Act, 1910 as amended by this Act shall apply in respect of the undertakings of all licensees which were purchased by the State Electricity Board in consequence of revocation of their licences under sub-section (2) of section 4 of that Act, and the purchase price in respect whereof was not determined prior to the commencement of this Act. Transitory provisions.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 46 सा0 विधा0–21–5–83–(815)—1983–750 (मैक0)।